जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांकः– प्रनि/जोविविनिलि/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 2382 जोधपुर,दिनांक 13/12/2005.

आदेश

विषय :– कृषि कनेक्शन के स्थानान्तरण के संबध में।

राजकीय उपक्रम समिति की दिनांक 26.10.2005 को आयोजित बैठक में मा. सभापति महोदय ने कृषि कनेक्शन के स्थानान्तरण में लागू कृषि नीति की विसंगति के बारे में उल्लेख किया था।

उक्त मामले में यह पाया गया है कि कृषि कनेक्शन का स्थान परिर्वतन यदि उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में किया जाता है और स्थान का परिर्वतन 10 मीटर से अधिक दूरी पर होता है तो उसे चोरी का मामला न मानकर अतिरिक्त एल.टी. लाईन की कीमत रू 100/– प्रति मीटर व लाईन में लगने वाले पोल के लिए रू 2000/– प्रति पोल लेने का प्रावधान है।

इसी प्रकार कृषि कंनेक्शन होने के बाद यदि उसी पंचायत समिति के किसी भी विद्युतिकृत गांव में स्थानान्तरित किया जाता है तो उपभोक्ताओं से एक मुश्त राशि रू 1500/– प्रति एच.पी 10 एच.पी तक तथा उसके बाद रू 750/– प्रति एच.पी. की दर से देय है।

यह भी पाया गया कि चालू कनेक्शन का स्थान परिर्वत्न उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बे मे दूसरे कुए में करने की दशा में उपभोक्ता द्वारा देय चार्जेज कनेक्शन होने के बाद अन्य किसी विद्युतीकृत गांव में स्थान परिर्वतन पद देय चार्जेज से काफी अधिक है।

इस विसंगति को दूर करने के लिये विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कृषि कनेक्शन नीति–2004 के क्लॉज 22(ii) के अन्तर्गत चालू कृषि कनेक्शन उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में स्थान परिर्वतन होने की दशा में दो प्रकार से तकमीना बनाये जाएँ। पहला तकमीना क्लॉज 22 (ii) के अनुसार रू 100/– प्रतिमीटर अतिरिक्त लाईन खर्च रू 2000/– प्रति पोल के हिसाब से बनाया जाए तथा दूसरा तकमीना क्लॉज 22 (iii) ज के अनुसार रू 1500/– प्रति एच.पी. 10 एच.पी. तक तथा इसके बाद रू 750/– प्रति एच.पी. की दर से बनाया जाए। कनेक्शन स्थानान्तरित करवाने वाले उपभोक्ता से दोनो तकमीनाओं में से कम राशि वाले तकमीना की राशि वसूल की जाएं।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।